संख्या-बी०एड ७१/सत्तर-3-2014-बी0एड0(16)/2011

प्रेषक,

मधु जोशी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
इलाहाबाद।

2. कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः २९ जनवरी, 2015

विषयः-निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी0एड0 पाठ्यक्रम (शिक्षण सत्र 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 तक) के लिए पाठ्यक्रम शुल्क का पुनर्निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एन0सी0ई0टी0 नियमावली, 2002 के प्रस्तर '6'(3) के प्राविधान के अनुरूप उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत निर्मित उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) (समिति का गठन) नियमावली, 2008 अधिसूचना संख्या-1561/सोलह-81-2008-5 (डब्ल्यू-48)/2003 दिनांक 01.05. 2008 द्वारा प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली में स्थापित प्राविधानों के अनुसार व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 के कार्यालय आदेश संख्या-2463/2008-सोलह-ए-5(डब्ल्यू-48)/2003 दिनांक 27 जून, 2008 द्वारा निजी क्षेत्र के बी0एड0 पाठ्यक्रम शुल्क निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 23.01.2015 को प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में हुई है।

2- समिति की उक्त बैठक में शासनादेश संख्या-बी0एड0 378/ सत्तर-3-2012-बी0एड0(16)/2011, दिनांक 29 सितम्बर, 2012 द्वारा प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थाओं में बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क रू0 51,250/-पर शुल्क को पुनर्निर्धारित किये जाने पर सम्यक विचार किया गया। इसी कम में एन0सी0टी0ई0 नई दिल्ली द्वारा निर्गत **अधिसूचना संख्या- 51-4/2014/NCTE/N&S दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 द्वारा बी0एड0** पाठ्यक्रम की अवधि 01 वर्ष से 02 वर्ष **किये जाने के फलस्वरूप** बी0एड0 सत्र 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 हेतु शुल्क पुनर्निर्धारण किये जाने पर विचार करते हुए तथा प्रदेश में बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी द्वारा वर्ष 2014-15 की बी0एड0 प्रवेश परीक्षा आयोजित कराये जाने के फलस्वरूप इस सत्र हेतु उपलब्ध बी0एड0 पाठ्यक्रम की कुल सीटों के सापेक्ष काउन्सलिंग के उपरान्त भरी गयी सीटें एवं रिक्त रह गयी सीटों की स्थिति पर विचार करते हुए इस तथ्य को छात्र-छात्राओं में बी0एड0 के

प्रति अभिरूचि / मांग को कम होने का द्योतक पाते हुए सर्वसम्मति से समिति द्वारा प्रदेश स्थित निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थाओं में बी0एड0 पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र 2014–15 हेतु पाठ्यक्रम शुल्क न बढ़ाये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है तथा वर्ष 2015–16 के प्रथम वर्ष हेतु रू0 51250/– तथा द्वितीय वर्ष हेतु रू0–30,000/– पाठ्यक्रम शुल्क निर्धारित किया गया है। यह दरें शैक्षणिक सत्र 2015–16 से आगामी तीन वर्ष हेतु लागू रहेंगी।

कृपया उक्तानुरूप अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(मधु जोशी)
संयुक्त सचिव।

संख्या–वी०ए०-०१ (1)/सत्तर–3–2015–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– समस्त अधिकारी / अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग।
4– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
5– अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद्, इन्दिरा भवन, लखनऊ को बेवसाइट पर प्रदर्शन हेतु एवं सभी संबंधितों को ई–मेल के द्वारा प्रेषित करने हेतु।
6– बेवमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7– विभागीय आदेश पुस्तिका

आज्ञा से,

मधु जोशी

(मधु जोशी)
संयुक्त सचिव।

G-0-(B.ED)